2012:CGHC:7746

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1356 / 2003

याचिकाकर्ताओं विजेंद्र सिंह बैस और अन्य।

बनाम

प्रतिवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

निर्णय एवं आदेश की उद्घोषणा के लिए दिनांक 29 अक्टूबर, 2012 सूचीबद्ध करे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही **/-**

सतीश के**.** अग्निहोत्री

न्यायाधीश

2012:CGHC:7746

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1356 / 2003

याचिकाकर्तागण विजेंद्र सिंह बैस और अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री न्यायाधीश

उपस्थित: याचिकाकर्तागण की ओर से अधिवक्ता श्री के.आर. नायर

उपस्थित।

श्री वी.वी.एस.मूर्ति, राज्य के उप महाधिवक्ता/ प्रतिवादी क्रमांक 1

कि ओर से

प्रतिवादी क्रमांक 2 की अधिवक्ता सुश्री रेनू सिंह।

प्रतिवादी क्रमांक 3 के अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव।

श्री संघर्ष पांडे के साथ उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

डॉ. एन.के शुक्ला प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश (मौखिक)

(दिनांक 29 अक्टूबर, 2012 को प्रदत)

1.इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता दिनांक 15.01.2003 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) को रद्द करने की मांग करते हैं, जिसके तहत महालेखाकार कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा में आपत्ति उठाए जाने पर याचिकाकर्ताओं को दिए गए वेतनमान, अर्थात् 8000-13500/- रुपये को कम करके 6500-10500/- रुपये कर दिया गया था। याचिकाकर्ता यह भी

2012:CGHC:7746

प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पदोन्नति या वेतनमान में वृद्धि प्रदान की जाए, क्योंकि उन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

2.याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को प्रारंभ में मध्य प्रदेश के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1976') के प्रावधानों के तहत 425-1050/- के वेतनमान पर सीधी भर्ती के माध्यम से जिला विधिक सहायता अधिकारी (संक्षेप में 'डीएलएओएस') के रूप में नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश विधिक सहायता एवं सेवा बोर्ड का गठन अधिनियम 1976 की धारा 3 के तहत किया गया था। मध्य प्रदेश विधिक सहायता बोर्ड ने संकल्प पारित किया कि जब तक बोर्ड अपने कर्मचारियों की सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियम और विनियम नहीं बना लेता, तब तक शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नियम बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करेंगे। उक्त आधार पर, याचिकाकर्ताओं के वेतनमान को 425-1050/- रुपये से संशोधित किया गया और उसके बाद, याचिकाकर्ताओं को पंचवे वेतन आयोग के अधीन 8000-13500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 01.01.1996 से नियुक्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3.चूंकि याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले कोई नियम नहीं बनाए गए थे, इसलिए डीएलओ द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 1549/1993 दायर की गई थी, जिसका निरकरण दिनांक 12.10.1995 के आदेश द्वारा इस निर्देश के साथ किया गया था कि रिट याचिका को एक अभ्यावेदन के रूप में माना जाए और इसका निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाए। उक्त याचिका पर विचार किया गया। बोर्ड द्वारा दिनांक 30.01.1996 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) द्वारा वेतनमान 2200-4000/- रुपये निर्धारित किया गया था, जो

2012:CGHC:7746

01.01.1986 से प्रभावी था। इसके बाद, उनके वेतनमान में संशोधन किया गया और याचिकाकर्ताओं को 01.01.1996 से 8000-13500/- रुपये का वेतनमान दिया गया।

4.याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नायर ने बताया कि 2200-4000/- रुपये का वेतनमान प्रदान करने से पहले मध्य प्रदेश राज्य के वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 (संक्षेप में नियम, 1996) के नियम 22 के तहत बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी बन गए। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। इसके बाद, 11 विधि सहायक अधिकारियों की सेवा छत्तीसगढ़ राज्य विधि सहायता प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दी गई। हालांकि, उनका अंतिम आवंटन 03.08.2004 को किया गया था। मध्य प्रदेश विधि सेवा प्राधिकरण ने दिनांक 15.01.2003 को आक्षेपित आदेश जारी किया था, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को 8000-13500/-रुपये के संशोधित वेतनमान का पात्र नहीं माना गया, बल्कि केवल 6000-10500/- रुपये का वेतनमान का पात्र माना गया,याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता थे मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद संशोधित वेतनमान 2200-4000/- रुपये दिया गया था, जिसके बाद 1996 से वेतनमान 8000-13500/- रुपये निर्धारित किया गया था। याचिकाकर्ताओं को उस वेतनमान में अपना वेतन और भत्ते प्राप्त करने का निहित अधिकार प्राप्त है, जिसे बाद में छीना नहीं जा सकता। इसी तरह के एक मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की विद्वान युगल ने रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5858/2006 में दिनांक 23.03.2011 के आदेश द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2012:CGHC:7746

दिनांक 15.01.2003 के आदेश को अपास्त कर दिया और यह माना कि डीएलएओ 8000-13500 रुपये के वेतनमान के हकदार थे। अतः, इस याचिका को भी उसी रूप में स्वीकार किया जाए।

5.दूसरी ओर, राज्य/प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री मूर्ति ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत सीधे तौर पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध नहीं है, हालांकि, प्रतिवादी क्रमांक 4 को उत्तर देने वाले प्रतिवादी द्वारा दिए गए अनुदान के कारण प्रतिवादी क्रमांक 1 प्रभावित हो सकता है और उसे वित्तीय हानि हो सकती है। श्री मूर्ति ने तर्क दिया कि डीएलओ की नियुक्ति के दो तरीके थे, पहला, वे जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नियुक्त किए गए थे और दूसरा, अर्थात् याचिकाकर्ता, जो सीधे नियुक्त किए गए थे। केवल द्वितीय श्रेणी के वे अधिकारी जो पीएससी के माध्यम से नियुक्त किए गए थे वेतनमान 2200-4000/- रुपये दिया गया था, लेकिन दूसरी श्रेणी के डीएलओ को वेतन नियम, 1990 के प्रावधानों के अनुसार उक्त वेतनमान दिया गया था। इसके बाद, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंडपीठ द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1549/1993 में पारित आदेश के कारण, बोर्ड की कार्यकारी समिति ने याचिकाकर्ताओं को 2200-4000/- रुपये के वेतनमान में रखने का निर्णय लिया और अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा, जिसे इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि बोर्ड अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त अनुदान का दावा नहीं करेगा। उक्त अनुमोदन बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों के गठन तक प्रभावी रहा। इस शर्त को किसी भी डीएलओ ने कभी चुनौती नहीं दी। इस प्रकार, बोर्ड ने 1990 से उनकी तनख्वाह को 2200-4000 रुपये के वेतनमान में सांकेतिक रूप से निर्धारित कर दिया। दिनांक 30.01.1996 के आदेश के अनुसार, 01.12.1995 का भुगतान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जनवरी 1996 में देय था। उक्त आदेश को कुछ डीएलएओ ने रिट याचिका क्रमांक 532/1996 में चुनौती दी थी, जिसे दिनांक 03.12.1996 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध, डीएलएओ ने एलपीए संख्या 8/97 दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद, नियम, 1996 दिनांक 01.04.1997 से लागू हुए और याचिकाकर्ताओं को उनके वेतन का भुगतान किया गया, जैसा कि उत्तर के पैरा 7 में उल्लेख किया गया है। हालांकि, जब लेखापरीक्षा पर आपत्ति उठाई गई और रिपोर्ट की जांच करने के बाद, प्रतिवादी क्रमांक 4 ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियों पर विचार करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया और निर्देश दिया कि डीएलओ को 6500-10500/- रुपये का वेतनमान दिया जाए और डीएलओ को पहले से भुगतान की गई अतिरिक्त राशि वसूल की जाए। याचिकाकर्ताओं को नियमों के विरुद्ध, गलती से 8000-13500/- रुपये का वेतनमान दिया गया था, इसलिए वे इसके हकदार नहीं हैं। आक्षेपित आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6.प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव ने निवेदन किया कि विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के लागू होने के बाद, विधि सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ। तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने विधि सेवा अधिकारियों (डीएलओ) और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित नियम बनाए, जो 01.04.1997 से प्रभावी हुए। वर्ष 1998 में, इसमें नियम 27 जोड़ा गया और एक अनुसूची भी जोड़ी गई। अनुसूची के अनुसार, विधि सेवा अधिकारियों का वेतनमान 2000-3500/- रुपये निर्धारित किया गया था। याचिकाकर्ताओं सहित सभी अधिकारियों और बोर्ड के अन्य कर्मचारियों को मध्य प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी/अधिकारी माना गया। तदनुसार, विधि सेवा अधिकारियों का वेतन 2000-3500/- रुपये निर्धारित किया गया था और

2012:CGHC:7746

गलत गणना के आधार पर, वेतनमान 2000-3500/- रुपये निर्धारित किया गया था।दिनांक 15.01.2003 के आक्षेपित आदेश द्वारा 8000-13500/- रुपये का वेतनमान वापस ले लिया गया और एक नया वेतनमान प्रदान किया गया।

7.प्रतिवादी क्रमांक 4 की ओर से अधिवक्ता श्री संघर्ष पांडे के साथ उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. शुक्ला ने उपरोक्त के अतिरिक्त यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि लेखापरीक्षा पर आपत्ति पूरी तरह निराधार थी, पूरी तरह गलत है। संयुक्त निदेशक, कोषालय एवं लेखा विभाग को पक्षकार न बनाए जाने के कारण याचिकाकर्ता यह आरोप नहीं लगा सकते कि प्राधिकरणों के अधिकारियों और कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान में समायोजन की जांच संयुक्त निदेशक द्वारा नहीं की गई थी। माननीय मुख्य न्यायाधीश और संरक्षक-प्रमुख द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना डीएलएओ को 8000-13500/- रुपये के वेतनमान में रखने के संबंध में मात्र प्रशासनिक स्वीकृति का नियम, 1996 के वैधानिक प्रावधानों पर कोई अधिभावी प्रभाव नहीं है। श्री शुक्ला ने यह भी खंडन किया कि लेखापरीक्षकों को ऐसी स्वीकृति पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं था और यह भी खंडन किया कि ऐसी स्वीकृति वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद दी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8.प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री रेनू सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा दायर किए गए दृष्टिकोण और जवाब को अंगीकृत किया है।

9.हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी, और अभिवचनों तथा उनसे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

10.याचिकाकर्ताओं को प्रारंभ में मध्य प्रदेश विधि सहायता बोर्ड, भोपाल द्वारा 03.08.1982 को 425-1050/- रुपये के वेतनमान पर नियुक्त किया गया

2012:CGHC:7746

था। इसके बाद, 24.01.1996 के आदेश (अनुलग्नक P/3) के अनुसार 01.01.1986 से उनका वेतनमान 2200-4000/- रुपये निर्धारित किया गया। इसके बाद, 08.02.1999 के आदेश (अनुलग्नक P/5) द्वारा वेतनमान 8000-275-13500/- रुपये निर्धारित किया गया। याचिकाकर्ता 15.01.2003 के आक्षेपित आदेश तक 8000-13500/- रुपये के संशोधित वेतनमान का लाभ उठा रहे थे, जिसके तहत वेतनमान को घटाकर आपत्ति के आधार 6500-10500/- रुपये तक कम किया गया था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था और प्रतिवादियों का यह भी मामला नहीं है कि वेतनमान में कटौती डीएलएओएस द्वारा किए गए किसी गलत बयानी या धोखाधड़ी के कारण की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. याचिकाकर्ता,जिन्हें प्रारंभ में मध्य प्रदेश विधि बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया था और बाद में प्राधिकरण द्वारा लिया गया

था,जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के बाद आवंटन तक राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी बने रहे, और उन्हें 03.08.2004 को छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित किया गया था। आक्षेपित आदेश तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा 15.01.2003 को पारित किया गया।

12. विधिक सेवा कर्मिक संघ नामक डीएलएओ के एक संगठन ने, आवंटन के बाद मध्य प्रदेश में रह गए डीएलएओ रमेश प्रसाद श्रीवास्तव सहित, जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5858/2006 दायर की। इस मामले और विधिक सेवा कर्मिक संघ के मामले में तथ्य समान हैं। सभी अधिकारियों की नियुक्ति एक साथ हुई थी और रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5858/2006 के याचिकाकर्ता 15.01.2003 के उस आदेश से भी असंतुष्ट थे जिसमें यह कहा गया था कि डीएलएओ

2012:CGHC:7746

8000-13500 रुपये के वेतनमान में वेतन पाने के पात्र हैं। इस आदेश को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक विद्वान युगलपीठ ने 23.3.2011 को रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5858/2006 में पारित आदेश द्वारा पहले ही रद्द कर दिया है। अतः, आगे किसी और विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है और चुनौती दिया गया आदेश भी रद्द किया जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की विद्वान युगलपीठ द्वारा चुनौती दिए गए आदेश को रद्द करते हुए की गई टिप्पणियों और पारित अंतिम आदेश से मैं पूर्णतः सहमत हूँ।

13.रामचंद्र कुरुप बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य तथा अन्य संबंधित मामलों में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"19.सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में एक सामान्य बात यह है कि पारिश्रमिक/भत्तों के अधिक भुगतान की वसूली के लिए तीन शर्तें हैं, जिनमें अधिक भुगतान की वसूली की जा सकती है,अर्थात् (i)कर्मचारी द्वारा गलत बयानी या धोखाधड़ी के कारण अधिक भुगतान किया गया था,(ii)कर्मचारी को यह जानकारी थी कि प्राप्त भुगतान अधिक था, और (iii) गलत भुगतान के अल्प समय के भीतर ही त्रुटि को सुधार लिया गया था....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14.याचिकाकर्ताओं को 01.01.1996 से 8000-13500/- रुपये का वेतनमान दिया गया था और इस प्रकार, उन्होंने निहित अधिकार प्राप्त कर लिया है जिसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना छीना नहीं जा सकता है।

15.याचिकाकर्ताओं पर वही नियम और शर्तें लागू होती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आवंटन के बाद उनकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं

हुआ है। तदनुसार, दिनांक 15.01.2003 का आदेश (अनुलग्नक पी/1), जो छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में भी लागू होता है, रद्द किया जाता है।

16.परिणामस्वरूप, रिट याचिका को सभी परिणामिक लाभों सहित स्वीकार की जाती है।

वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही **/-**

सतीश के**.** अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप हीअभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Trasalted By MS. MAMTA MAHILANGE ADV.